अंकेक्षण टीप वर्ष – 2023–24

1.	संस्था का नाम	:	अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित सागर
2.	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	:	**A.R./SGR/13** दिनांक 27.11.81
3.	कार्यक्षेत्र के ग्राम	:	नगर निगम क्षेत्र सागर
4.	सदस्य संख्या	:	90 गत टीप अनुसार योग 90 सदस्य
5.	अंश पूंजी	:	अधिकृत – 5.00 लाख प्रदत्त – 50536/–
6.	गतवर्ष के अंकेक्षण का नाम व पद	:	श्री जी.पी. पिपरसानिया (निरीक्षक)
7.	वर्तमान अंकेक्षण का नाम व पद	:	श्री बी. पी. चौबे (निरीक्षक)
8.	कार्यरत कर्मचारी	:	देवी अहिरवार, चौकीदार
9.	कार्यकारणी कमेटी	:	निर्वाचन दिनांक 07.10.2023

1. श्री बिहारी लाल चौरसिया	अध्यक्ष
2. श्री जी. पी. दुबे	उपाध्यक्ष
3. श्री टी.आर. त्रिपाठी	उपाध्यक्ष
4. श्री हरीसिंह ठाकुर	संचालक
5. श्री विनोद कुमार दुबे	संचालक
6. श्री भगवानदास अहिरवार	संचालक
7. श्री निर्मल कुमार जैन	संचालक
8. श्री वेद प्रकाश चतुर्वेदी	संचालक
9. श्री आशुतोश गुरू	संचालक
10. श्रीमती जयश्री दुबे	संचालक
11. श्रीमती मिनी राजपूत	संचालक

10. अन्य जानकारी : संस्था द्वारा अपने सदस्यों को प्लाट/भवन बनाने हेतु आवंटन का कार्य

(बी. पी. चौबे)

निरीक्षक/अंकेक्षण

कार्यालय– अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सागर
पंजीयन क्रमांक/डी.आर./एस.जी.आर./13–1981
चैतन्य हॉस्पिटल के पास, आर्शीवाद कन्स्ट्रक्शन, तिली रोड, सागर (म.प्र.)
(एक सबके लिये सब एक के लिये)

क्रं./गृह.नि./419 सागर, दिनांक 03.06.2023

स्मरण–पत्र

प्रति,

श्री नरेन्द्र कुमार सक्सेना
पूर्व अध्यक्ष, अल्पवेतन भोगी कर्म0 गृह.नि.स.मर्या. सागर
फार्चून कस्तूरी ए–1, 201 जाटखेड़ी होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)

विषय :– अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 03.06.2023 के निर्णय बावत्।

संदर्भ :– इस कार्या. के पत्र क्रं. 329 दिनांक 14.02.19 एवं पत्र क्रं. 353 दिनांक 08.12.2020 एवं पत्र क्रं. 355 दिनांक 08.12.2020 एवं पत्र क्रं. 373 दिनांक 16.11.2021

––––::––––

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों द्वारा पत्रोत्तर के साथ कार्यवाही आपकी ओर से अपेक्षित थी उसके अभाव में आपको स्मरण पत्र दिया जा रहा है कृपया त्वरित निराकरण करते हुये सहयोग प्रदान करें।

1. दिनांक 10.11.2011 को श्री अतुल रिखोलिया को निर्माण अग्रिम के रूप में 70000.00 सत्तर हजार रूपये उधार राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में है तभी से हर वर्ष आडिट आपत्ति के रूप में यह प्रकरण लंबित है।
2. समिति सदस्य डॉ. सुनील साहू ने लिखित शिकायत की है कि उनके भूखण्ड के बैनामा रजिस्ट्री के पूर्व आपने उनसे 1800000.00 एक लाख अस्सी हजार रूपये लिए और 10000.00 दस हजार रूपये विकास शुल्क के लिये किन्तु रसीद नहीं दी ।
3. श्रीमती मिथलेश सक्सेना के पक्ष में आपने जो रजिस्ट्री बैनामा किया है उसमें भूखण्ड राशि 12600.00 बारह हजार छैः सौ रूपये प्राप्त दर्शाया गया है जबकि रोकड़ बही मं उनके नाम 9600.00 नो हजार छैः सौ रूपये दर्ज हैं।
4. आपने अपने कार्यकाल के विभिन्न अभिलेख आडिट रिपोर्ट आदि समिति के द्वारा पत्र देने के बाद भी हस्तांतरित नहीं किए है।

उपर्युक्त समिति की प्रमाणित देनदारियों/ आर्थिक प्रकरणों के दोषी होने के कारण समिति की उपविधि 12 (घ) के अनुसार आप व्यतिक्रमी हैं साथ ही आप अपने भूखण्ड का भी विक्रय कर चुके हैं दिनांक 13 जनवरी 2022 मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र के अनुसार जिन्होंने अपने भूखण्ड या भवन विक्रय कर दिये हैं वे समिति के हितधारक नहीं हैं अतः आप चूंकि अब समिति के हितधारक नहीं हैं अतः आपकी समिति की सदस्यता समाप्त की जा चुकी है।

पत्रोत्तर और प्रकरणों के निराकरण की अपेक्षा सहित सादर सूचनार्थ।

(बिहारीलाल चौरसिया)
अध्यक्ष
अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण
सहकारी समिति मर्यादित, सागर (म.प्र.)

कार्यालय– अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सागर
पंजीयन क्रमांक/डी.आर./एस.जी.आर./13–1981
चैतन्य हॉस्पिटल के पास, आर्शीवाद कन्स्ट्रक्शन, तिली रोड, सागर (म.प्र.)
(एक सबके लिये सब एक के लिये)

क्रं./गृह.नि./बैठक/ सागर, दिनांक 26.05.2023

सूचना–पत्र
संचालक मंडल की बैठक

अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण समिति मर्या. सागर के संचालक मंडल के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आगामी दिनांक .... को दिन में 12:00 बजे से समिति कार्यालय में संचालक मंडल की बैठक आयोजित की गई है। गृह निर्माण संस्था की आदर्श उपविधियों के प्रावधान के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों को बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है।

अतः आप सभी सदस्यगण कृपया निर्धारित स्थल पर नियत समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें। बैठक की सूचना आपको आपके दूरभाष/मोबाईल नंबर पद दी गई है। बैठक की कार्यसूची में विचारार्थ विषय :–

1. दैनिक भास्कर भोपाल दिनांक 28.03.2023 में प्रकाशित समाचार एवं उपायुक्त सहकारिता के पत्र क्रमांक 609 दिनांक 28.04.2023 पर चर्चा, धर्मशाला के नाम पर आबंटित भूखण्डों की राशि जमा न होने के संबंध में।
2. समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री एन.के. सक्सेना को पुनः स्मरण पत्र देने विषयक चर्चा
   (अ) श्री अतुल रिखोलिया के नाम पर उधार अग्रिम राशि 70000.00 जमा न करने विषयक
   (ब) डॉ. सुनील साहू की शिकायत के निराकरण के सबंध में।
   (स) श्रीमती मिथलेश सक्सेना के पक्ष में किये गये बैनामा में भूखण्ड राशि 3000/– जमा न होने बावत।
   (द) पिछली अनेक वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट आदि अभिलेख हस्तांतरित न करने बावत्।
   (इ) समिति की उपविधि क्रं. 12 (घ) के अननुसार व्यतिक्रमी होने और अपना भूखंड बेचने के कारण श्री सक्सेना की सदस्यता समाप्ति ।
   (फ) समिति सदस्यों ने अपने भूखण्ड विक्रय कर दिये है उनकी सदस्यता समाप्ति।
3. वर्ष 2022–23 के आय–व्यय का अनुमोदन।
4. कालोनी की वैधता नियमितीकरण पर चर्चा।
5. अन्य विष्य अध्यक्ष की अनुमति से ।

(बिहारीलाल चौरसिया)
अध्यक्ष
अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण
सहकारी समिति मर्यादित, सागर

कार्यालय– अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सागर
पंजीयन क्रमांक/डी.आर./एस.जी.आर./13–1981

क्रं./गृह.नि./ सागर, दिनांक

प्रति,

माननीय उपायुक्त महोदय
सहकारिता, जिला सागर (म.प्र.)

विषय :– **परिवाद दायर करने बावत धर्मशाला हेतु पांच भूखण्डों की रजिस्ट्री संबंधी जांच प्रतिवेदन जारी करने के संबंध में।**

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/गृह.नि./बैठक/415/सागर दिनांक 28.03.2023,

महोदय,

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिएगा। संदर्भित पत्र में हमने दैनिक भास्कर सागर में प्रकाशित आपके वक्तव्य दिनांक 28.03.2023 का स्वागत करते हुये निवेदन किया था कि आपने धर्मशाला हेतु दिये गये पांच भूखण्डों की रजिस्ट्री निरस्तीकरण हेतु परिवाद दायर करने के निर्देश जारी किए हैं इस आशय का जांच प्रतिवेदन प्रदाय करने की कृपा करें ताकि आपके आदेशानुसार मान. न्यायालय में परिवाद दायर किया जा सके।

ज्ञातव्य है कि आयुक्त न.पा.नि. सागर नें क्रं./कालोनी/सैल/न.नि./2023/1874 सागर दिनांक 09.03.2023 के द्वारा दिनांक 10 मार्च 2023 को दैनिक भास्कर भोपाल के पृष्ठ क्रं. 07 पर अनधिकृत कॉलोनी के नियमितीकरण की कार्यवाही हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की थी। जिसमें सरल क्रमांक 14 पर अल्पवेतन भोगी कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी समिति मर्या. कनेरा देव बाघराज वार्ड सागर की खसरा नं. 214/5 में पांच एकड़ भूमि का प्रकाशन करते हुये पन्द्रह दिवस के भीतर दावा आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया था। जिसमें कॉलोनी के हितधारक और भूखण्ड/भवन के स्वामी सम्मिलित हैं। उक्त सूचना की अवधि समाप्त होने की दिनांक 25.03.2023 तक किसी भी हितधारक ने दावा/आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इस तिथि के बाद कोई हितधारक भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है साथ ही अनुरोध है कि भविष्य में यदि कोई भी अपात्र व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिकायत करता है तो उन्हें समादृत न किया जावे, यदि ऐसा कोई प्रकरण है तो समिति के पक्ष को प्रथम दृष्टया

सुना जावे। यह निवेदन इसलिये किया जा रहा है कि गत जांच/प्रकरण में समिति द्वारा प्रदत्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है

नगर पालिक निगम कार्यालय से जानकारी प्राप्त हुई है कि श्री अनुराग केशरवानी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है कि उनका कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और इसलिए कॉलोनी का नियमितीकरण न किया जावे किन्तु उनके द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि संबंधित व्यक्ति न तो समिति के सदस्य है और न ही उनके नाम पर किसी भूखण्ड का आबंटन है।

महोदय,

आपने अपने आदेश की कण्डिका क्रं. 3 में एक ही व्यक्ति को धर्मशाला के लिये पांच भूखण्डों के आबंटन पर आपत्ति जताई है और संदर्भित समाचार पत्र में उक्त पांच भूखण्ड की दोबारा रजिस्ट्री होने के कारण सिविल कोर्ट में परिवाद दायर कर रजिस्ट्री को निरस्त कराए जाने का अभिमत दिया है।

चूंकि स्व. श्रीमति मुन्नीबाई पत्नी स्व. श्री महादेव प्रसाद केशरवानी के नाम पर उक्त पांच भूखण्डों की रजिस्ट्री की गई थी जिसे निरस्त किया जाना है। ज्ञातव्य है कि समिति के पास उपलब्ध मूल सदस्यता आवेदन पत्र पर स्व. श्री केशरवानी के नामिनी के रूप में स्व. श्रीमती मुन्नीबाई केशरवानी का नाम अंकित है। स्पष्ट है कि उनकी कोई सन्तान नहीं है जिसका उल्लेख पूर्व में जांच प्रतिवेदन में किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वांछित जांच प्रतिवेदन जारी करते हुये समिति की कालोनी के नियमितीकरण में अनावश्यक प्रकट होने वाले व्यवधानों से मुक्ति दिलाते हुये प्रभावी मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने की कृपा करें ।

सादर,

संलग्न :
दैनिक भास्कर
दिनांक 10 मार्च 2023
की सार्वजनिक सूचना की
छायाप्रति

भवदीय

(बिहारीलाल चौरसिया)
अध्यक्ष
अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण
सहकारी समिति मर्यादित, सागर

कार्यालय– अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सागर
पंजीयन क्रमांक/डी.आर./एस.जी.आर./13–1981

क्रं./गृह.नि./ सागर, दिनांक

प्रति,

माननीय उपायुक्त महोदय
सहकारिता, जिला सागर (म.प्र.)

विषय :– **अल्पवेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति सागर के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु।**

संदर्भ :– बैठक दिनांक 02.04.2023 का प्रस्ताव ।

महोदय,

संदर्भित विषयान्तर्गत निवेदन है हमारी अल्पवेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित सागर के संचालक मण्डल का कार्यकाल माह जून में पूर्ण होने जा रहा है और नये संचालक मण्डल के निर्वाचन के लिए दिनांक 02.04.2023 को आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि नवीन संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– प्रस्ताव की छायाप्रति

भवदीय

(बिहारीलाल चौरसिया)
अध्यक्ष
अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण
सहकारी समिति मर्यादित, सागर

कार्यालय– अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सागर
पंजीयन क्रमांक/डी.आर./एस.जी.आर./13–1981

क्रं./गृहनि./बैठक/415 सागर, दिनांक 28.03.2023

प्रतिष्ठा में,

माननीय उपायुक्त महोदय
सहकारिता, जिला सागर (म.प्र.)

विषय :– **परिवाद दायर करने हेतु पांच भूखण्डों की दोबारा रजिस्ट्री संबंधी जांच प्रतिवेदन प्रदाय करने बावत्।**

संदर्भ :– भवदीय कार्यालय का पत्र क्रमांक/विधि/गृहनिर्माण/2023/195/सागर दिनांक 31.01.2023, इस कार्यालय का पत्रोत्तर क्रमांक/गृह नि./412/सागर दिनांक 07.03.2023 एवं दिनांक 28 मार्च 2023 को दैनिक भास्कर सागर सिटी संस्करण मे प्रकाशित समाचार।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत आपने अपने आदेश में कण्डिका क. 03 मे धर्मशाला के लिये एक ही व्यक्ति को पांच भूखण्ड आवंटित करने पर आपत्ति जताई है और संदर्भित समाचार पत्र में उक्त पांच भूखण्डों की रजिस्ट्री निरस्तीकरण हेतु परिवाद दायर करने के निर्देश जारी किए हैं जबकि आपके आदेश के साथ संलग्न जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में उक्त भूखण्डों की रजिस्ट्री को दोबारा रजिस्ट्री नहीं माना गया है।

महोदय हम, समाचार पत्र में प्रकाशित आपके वक्तव्य का स्वागत करते हुये आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने आदेश को संशोधित करते हुये ''उक्त पांच भूखण्डों की दोबारा रजिस्ट्री कर एक ही व्यक्ति को धर्मशाला के लिये उक्त भूखण्डों का एकमुश्त किया गया आवंटन अवैध है और उसे निरस्त करने के लिए समिति को परिवाद दायर करना है''। इस आशय का जाँच प्रतिवेदन प्रदाय करने की कृपा करें।

2. आपको सादर सूचना देते हुये हमें प्रसन्नता है कि आपके आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम सागर में समिति की कॉलोनी के नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

भवदीय

(बिहारीलाल चौरसिया)
अध्यक्ष
अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण
सहकारी समिति मर्यादित, सागर

कार्यालय– अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सागर

पंजीयन क्रमांक / डी.आर. / एस.जी.आर. / 13–1981

चैतन्य हॉस्पिटल के पास, आर्शीवाद कन्स्ट्रक्शन, तिली रोड, सागर (म.प्र.)

(एक सबके लिये सब एक के लिये)

बिहारी लाल चौरसिया	राजीव चौरसिया
अध्यक्ष	प्रबंधक एवं संचालक
मो.नं. 8120535318	मो.नं. 9424437663

क्रं. / गृहनि. / बैठक / 414 — सागर, दिनांक 20.03.2023

सूचना–पत्र
संचालक मंडल की बैठक

महोदय,

अल्प वेतन भेगी कर्मचारी गृह निर्माण समिति के संचालक मण्डल के माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संचालक मंडल की बैठक दिनांक 02.04.2023 को दोपहर 12 बजे स्थान संस्था कार्यालय में होना निश्चित हुआ है।

गृह निर्माण सहकारी संस्था की आदर्श उपविधियों के प्रावधान के अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों को उक्त बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है।

अतः आप समस्त सदस्यगण कृप्या नियत समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें बैठक की सूचना आपको दूरभाष मोबाईल नंबर पर दी गई है।

कार्य सूची नीचे लिखे अनुसार है :–

(1) समिति के आगामी जून माह में कार्यकाल समाप्त होने के कारण निर्वाचन के प्रस्ताव हेतु विचार

(2) अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से

भवदीय

(बिहारीलाल चौरसिया)
अध्यक्ष

अल्प वेतन भोगी कर्मचारी गृह निर्माण
सहकारी समिति मर्यादित, सागर